

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीटासीन अधिकारी नन्मूल पहाड़िया, आई.ए.एस.

उनवान

सरकार जरिये तहसीलदार मासलपुर तहसील मासलपुर जिला करौली - प्रार्थी

बनाम

1. उदयभान पुत्र समन्दर जाति गुर्जर निवासी नवलापुरा (डांडा) तहसील मासलपुर
2. शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा मासलपुर - अप्रार्थीगण

रेफरेन्स अंतर्गत धारा 82 भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक-11.09.2019

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि भूमिधारी तहसीलदार मासलपुर ने अप्रार्थीयान के विरुद्ध यह प्रार्थना पत्र रेफरेन्स प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि आराजी खसरा नंबर 117 रकबा 2-18 बीघा ग्राम नवलापुरा (नवीन राजस्व ग्राम) तहसील मासलपुर का प्रार्थी लैण्ड होल्डर है। यह कि आराजी खसरा नंबर 117 रकबा 2-18 बीघा ग्राम नवलापुरा (नवीन राजस्व ग्राम) सम्वत् 2015 एवं इसके पश्चात् तालाबी-1 दर्ज रिकॉर्ड था परन्तु जमाबन्दी सम्वत् 2030-2033 तक के खाता सं 412 किस्म तालाबी-1 से श्री उदयभान पुत्र श्री समन्दर गूजर निवासी नवलापुरा (नवीन राजस्व ग्राम) के नाम जरिए नियमन से दर्ज कर दिया गया। वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 तक में उदयभान पुत्र श्री समन्दर गूजर निवासी नवलापुरा राहिन बी.ओ.बी शाखा मासलपुर मुर्तहिन तहसील मासलपुर जिला करौली के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। यह कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते हैं इस प्रकार से यह अंकित हस्तांतरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 के द्वारा नदी, नाले, जलाशय आदि की भूमि जो दिनांक 15.08.1947 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है को वापस सरकारी भूमि में दर्ज करने एवं इसके बाद हुए परिवर्तन को अवैध घोषित किए जाने के निर्देश हैं। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए आराजी खसरा नंबर 117 रकबा 2-18 बीघा बाके ग्राम नवलापुरा (नवीन राजस्व ग्राम) को वापस राजकीय भूमि तालाबी-1 दर्ज किए जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

उक्त प्रार्थना पत्र के साथ रिपोर्ट पटवारी, जमाबन्दी सम्वत् 2015, नामांतरकरण संख्या 71 दिनांक 13.06.1974, नामांतरकरण संख्या 332 दिनांक 11.11.1977, जमाबन्दी सम्वत् 2030 से 2033, 2068-71, 2072-75 की प्रति संलग्न की है।

तहसीलदार मासलपुर के उक्त प्रार्थना पत्र रेफरेन्स के इस न्यायालय में प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीयान की गई।

अप्रार्थी नं. 1 को कार्यालय द्वारा जारी नोटिस की तामील होने के बावजूद अप्रार्थीयान के असालतन/वकालतन उपस्थित नहीं होने एवं ना ही जवाब पेश करने के कारण इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

वकील अप्रार्थी नं. 2 ने जवाब पेश न करके सीधे बहस करना चाहा।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पैरोकार सरकार का बहस में कथन है कि आराजी खसरा नंबर 117 रकबा 2-18 बीघा ग्राम नवलापुरा (नवीन राजस्व ग्राम) सम्वत् 2015 एवं इसके पश्चात् तालाबी-1 दर्ज रिकॉर्ड था परन्तु जमाबन्दी संवत् 2030-33 तक के खाता संख्या 412 किस्म तालाबी-1 से श्री उदयभान पुत्र समन्दर जाति गूजर निवासी नवलापुरा के नाम जरिए नियमन से दर्ज कर दिया गया। संवत् 2072-75 में यह भूमि उदयभान पुत्र श्री समन्दर गूजर निवासी नवलापुरा राहिन बी.ओ.बी शाखा मासलपुर मुर्तहिन तहसील मासलपुर जिला करौली के नाम दर्ज रिकॉर्ड


है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते हैं इस प्रकार से यह अंकित हस्तांतरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 के द्वारा नदी, नाले, जलाशय आदि की भूमि जो दिनांक 15.08.1947 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है को वापस सरकारी भूमि में दर्ज करने एवं इसके बाद हुए परिवर्तन को अवैध घोषित किए जाने के निर्देश हैं। अंत में प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किये जाने का कथन किया है।

वकील अप्रार्थी नं. 2 ने बहस में कथन किया है कि अप्रार्थी की उक्त आराजी को रहन रखकर बैंक द्वारा अप्रार्थी नं. 1 को ऋण दिया गया है। बैंक के हित को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय फरमाये जाने का कथन किया है।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का गंभीरतापूर्वक अवलोकन करते हुए मनन किया। जमाबन्दी संवत् 2015 के अनुसार सिवायचक बिला लगानी आराजी खसरा नंबर 117 रकबा 2-18 बीघा तालाबी-1 दर्ज रिकॉर्ड है। नकल जमाबंदी संवत् 2030-35 तक के खाता संख्या 412 किस्म तालाबी-1 से श्री उदयभान पुत्र श्री समन्दर गूजर निवासी नवलापुरा (नवीन राजस्व ग्राम) के नाम नामांतरकरण संख्या 71 दिनांक 13.06.1974 को स्वीकार किया गया है। नकल जमाबन्दी सं० 2072 लगायत 2075 के अनुसार खसरा नंबर 117 किस्म बारानी-3 रकबा 2-18 बीघा उदयभान पुत्र श्री समन्दर गूजर निवासी नवलापुरा राहिन बी.ओ. बी शाखा मासलपुर मुर्तहिन तहसील मासलपुर जिला करौली अंकित है। इससे स्पष्ट है कि यह जमीन पूर्व में तालाबी-1 दर्ज थी जिसकी किस्म परिवर्तन के बाद भूमि आवंटित की गई है। चूंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते हैं इस प्रकार यह अंकित हस्तांतरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 02.08.2004 के विस्तृत निर्णय में उल्लेखित किया है कि All the lands shown as drainage channels like nalla, rivers, tributaries etc. as on 15-08-1947 should be declared as Government land. Any conversions made after 15-08-1947 should be declared illegal. The relevant act and rules must be amended accordingly. माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा जनहित याचिका में पारित निर्णय से हम सहमत हैं।

अतः भूमिधारी तहसीलदार मासलपुर का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 L.R. Act 1956 स्वीकार किया जाकर ग्राम नवलापुरा (नवीन राजस्व ग्राम) की आराजी खसरा नंबर 117 रकबा 2-18 बीघा को वापस राजकीय भूमि तालाबी-1 दर्ज करने की स्वीकृति देने हेतु मूल पत्रावली राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 11.09.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।



(नन्मल पहाडिया)

जिला कलक्टर

करौली